




# फर्द अहकाम

गोपाल बनाम मन्नालाल वगै०

त्र संख्या: 166/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21.06.2024	<p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियाँ पेश की है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में दिनांक 02.07.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपस्थान अधिकारी</b>  <b>जयपुर (द्वितीय)</b> </p>	
30/7/24	<p>पत्रावली में प्रार्थी द्वारा आज को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का कारण प्रार्थी को पेश किया जा सकी। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का कारण प्रार्थी को पेश किया जा सकी। अतः पत्रावली में प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का कारण प्रार्थी को पेश किया जा सकी।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपस्थान अधिकारी</b>  <b>जयपुर (द्वितीय)</b> </p>	<p>Not Press                  Recd Adv                  30/7/24                  (21/08/2024)                  R 930/2008                  5414823303</p> <div style="text-align: right;">  </div>

र/नाम

पत्रावली में प्रार्थी द्वारा आज को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का कारण प्रार्थी को पेश किया जा सकी। अतः पत्रावली में प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का कारण प्रार्थी को पेश किया जा सकी।

Not Press  
 Recd Adv  
 30/7/24  
 (21/08/2024)  
 R 930/2008  
 5414823303

उपस्थान अधिकारी  
 जयपुर (द्वितीय)

